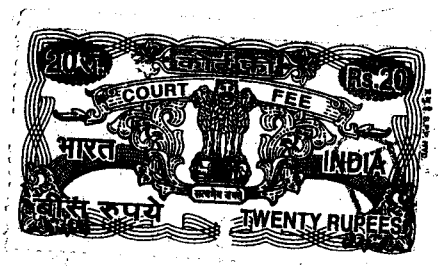

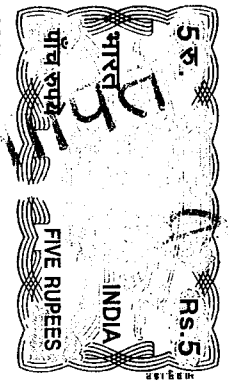

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकेरण कमांक /2016 पुनरावलोकन

श्रीमती किरनलता पत्नी श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव निवासी- ग्राम भदेरा, कृषक ग्राम धतूरा, तहसील पोहरी जिला शिवपुरी, म0प्र0 --आवेदिका

बनाम

1. मथुरा प्रसाद बैरागी पुत्र श्री बद्रीप्रसाद बैरागी ग्राम धतूरा, परगना पोहरी जिला शिवपुरी, म0प्र0
2. म0प्र0 शासन --अनावेदकगण

पुनरावलोकन (रिव्यू) आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 26/03/2016 पारित द्वारा श्रीमती मधु खरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 296-2/2013 निगरानी व उनवान देवेन्द्र कुमार बनाम मथुराप्रसाद आदि।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से पुनरावलोकन आवेदन-पत्र निम्न आधारो पर प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे कमांक 127 मिन रकवा 0.36 आरे एवं सर्वे कमांक 131 रकवा 1.20 स्थित ग्राम धतूरा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1540–दो/16 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17 –3–2017	आवेदिका अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 295–दो/2013 में पारित आदेश दिनांक 26–3–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है। संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदिका की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है। 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (एस0एस0 अली) सदस्य	